प्रकरण संख्या 52/2024,
अमर सिंह बनाम इन्द्र सिंह वगैरह

| तारीख हुक्म | हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज | नम्बर व तारीख इहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए |
|---|---|---|
| 3.5.2025 | प्रार्थीगण अमर सिह, हरपाल सिह पिसरान बनारसी सिह जाति अराई निवासी मानकसर तहसील संगरिया द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251–ए आरटीए पेश कर चक 15 एमकेएस प.न 168/242 मु.न. 51 के किला नं. 23 में पश्चिम दिशा में उतर से दक्षिण लम्बा किला नं. 22 से चिपता 0.025 है. रास्ता स्वीकृत करने बाबत निवेदन किया है। | |

प्रार्थना–पत्र पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। इस कार्यालय द्वारा तहसीलदार संगरिया से उक्त रास्ता के प्रकरण को सही रूप से निस्तारण करने एवं मौका की जांच रिपोर्ट चाही जाने पर उन्होंने अपने पत्र क्रमांक 679 दिनांक 13.11.2024 द्वारा अपनी रिपोर्ट भिजवाई है कि प्रार्थीगण एवं अप्रार्थीगण सयुंक्त खाते के सहखातेदार है जिसमें से गै.मु.रास्ता गुजरता है बतलाते हुए अपनी रिपोर्ट भिजवाई तथा अप्रार्थी संख्या 1 ता 3 ने प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्य अस्वीकार होना व प्रार्थीगण अप्रार्थीगण की चक नं. 15 एमकेएस के खाता संख्या 55/34 संयुक्त खाता में कृषि भूमि राजस्व रिकार्ड में दर्ज है जो संयुक्त खाता में है। विधि अनुसार जब तक खाता विभाजन नही हो जाता तब तक प्रत्येक सहकातश्तकार का प्रत्येक ईच पर कब्जा है। ऐसी स्थिति में प्रार्थी का प्रार्थना पत्र चलने योग्य नही है का कथन करते हुए अपना जवाब प्रस्तुत किया गया।

बहस उभयपक्ष सुनी गई पत्रावली का ध्यान पूर्वक अवलोकन किया गया प्रकरण अत्यधिक समय से अन्तर्गत धारा 251–ए आरटीए प्रार्थना पत्र रास्ता स्वीकृत किये जाने हेतु लम्बित चल रहा है जबकि प्रार्थी के नाम संयुक्त खाते में खातेदारी दर्ज राजस्व रिकार्ड है। प्रार्थी ने संयुक्त खाते की आराजी के लिऐ रास्ता की मांग की गई है जो संयुक्त खाते में दिया जाना उचित प्रतीत नही होता है।

अतः उक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज किया जाता है।

आदेश खुले न्यायालय में सुनाया गया

उपखण्ड अधिकारी
संगरिया

उपखण्ड अधिकारी संगरिया जिला हनुमानगढ़